भाकृअनुप
ICAR

भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
बीछ्वाल, बीकानेर (राजस्थान) - 334006
फोन नः 0151 2250960- 2253123

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान प्रक्षेत्र में निम्न की खुली नीलामी निम्न विवरण के अनुसार प्रस्तावित है :-

क्र स	कार्य / सामान	धरोहर राशि	नीलामी तिथि / समय
1	सुखी लकड़ी (खेजड़ी की लकड़ी शामिल नहीं है)	5000.00	18.03.2020/11.30 A.M.

उपरोक्त अंकित तिथि / समय पर संस्थान के फार्म कार्यालय पर आयोजित खुली नीलामी में शामिल होने हेतु इच्छुक व्यक्ति बयाना राशि जमा करवाकर बोली लगा सकते है। इस संबंध में विस्तृत नियम एवं शर्ते संस्थान के प्रशासनिक कार्यालय एवं फार्म कार्यालय भवनों [10वें कि.मी. का पत्थर, श्री गंगानगर हाईवे, बीछ्वाल, बीकानेर] के सूचना पट्ट एवम संस्थान की वेब साइट www.ciah.icar.gov.in एवम CPP-NIC Portal पर उपलब्ध है। नीलामी में शामिल होने के इच्छुक व्यक्ति उक्त नीलामी के विस्तृत नियमों व शर्तों का अवलोकन अपनी बोली लगाने से पूर्व अवश्य कर लेवें। प्राप्त अधिकतम बोली स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार संस्थान के निदेशक महोदय के पास पूर्ण रुप से सुरक्षित रहेगा।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
I.C.A.R. - CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE
Beechwal, Bikaner (Rajasthan) - 334006
बीछवाल, बीकानेर (राजस्थान) - ३३४००६

भाकृअनुप
ICAR

पत्रावली क्रमांक:07(ii)06/CS/FP Auction/2011/ 11809

दिनांक: 07.03.2020

संस्थान के विभिन्न प्रक्षेत्र मे सुखी लकड़ी 80 से 100 क्विंटल (खेजड़ी शामिल नही है) खुली नीलामी (दिनांक 18 .03.2020 को सुबह 11.30 बजे) के विस्तृत नियम व शर्त ।

1. संस्थान के विभिन्न प्रक्षेत्र मे सुखी लकड़ी (खेजड़ी की लकड़ी शामिल नही है) की नीलामी की जानी है।
2. नीलामी मैं भाग लेने के लिये प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को बयाना राशि के रुप में रु. 5000/- सूखी लकड़ी नीलामी हेतु अलग-अलग जमा कराने होंगे ।
3. अधिकतम बोली दाता के हक में बोली छोडने या न छोडने का अधिकार संस्थान के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं उनका निर्णय अंतिम होगा ।
4. जिस व्यक्ति के नामे से बोली स्वीकृत होगी, उसे स्वीकृत बोली की कुल राशि का एक तिहाई (33 प्रतिशत) मौके पर ही जमा कराना होगा। शेष दो तिहाई राशि संस्थान के बोली स्वीकार्य बाबत पत्र प्राप्त होने के तीन दिन के अंदर जमा करानी होगी । तत्पश्चात ही सफल बोली दाता को सुखी लकड़ी लेजा ने का कार्य प्रारंभ करने का अधिकार पत्र जारी किया जायेगा ।
5. सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित अवधि में बोली की संपूर्ण राशि जमा करवानी होगी ।
6. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सूखी लकड़ी लेते समय संस्थान की अन्य संपत्ति को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे। प्रक्षेत्र में आग जलाना प्रतिबंधित होगा । यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी ।
7. बोली की राशि पर लगने वाले किसी प्रकार के कर इत्यादि के भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की ही होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा ।
8. सूखी लकड़ी को ले जाने का कार्य प्रत्येक कार्य दिवस पर तकनीकी कर्मचारी (खण्ड) की देख-रेख में प्रातः 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे के मध्य ही सम्पन्न करना होगा । रविवार एवं अन्य राजकीय अवकाश में कार्य नही होगा । संस्थान में कार्यरत बंदी श्रमिकों को सुखी लकड़ी ले जाने के लिये नही लगाना होगा अन्यथा ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा । लकडियॉ को बाहर ले जाने से पहले गेट-पास लेना अनिवार्य है । सूखी लकड़ी को ले जाने का कार्य 07 दिवस में पूर्ण करना होगा ।
9. किसी भी प्राकृतिक आपदा एवं अन्य किसी भी कारण, सूखी लकड़ी से को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी संस्थान की नही होगी।
10. सफल बोलीदाता की बयाना राशि (Earnest Money) का पुर्नभुगतान (Refund) सुखी लकड़ी को ले जाने का कार्य पूर्ण होने के पश्चात एवं प्रभारी फार्म द्वारा अदेयता प्रमाणपत्र (No dues Certificatte) जारी करने पर किया जायेगा । इस हेतु ठेकेदार को संस्थान द्वारा जारी मूल रसीद (TR-5) को आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा ।
11. केवल कार्य दिवस व कार्यालय समय में ही उपरोक्त कार्य सम्पन्न करना होगा एवं सामान को निकासी गेट पास द्वारा (10 A.M. से 4 P.M.) कि जायेगी ।
12. संस्थान के किसी भी अनुसंधान प्रखण्ड एवं संस्थान की अन्य संपति, पाइप लाइन, तार बंदी, पौधों इत्यादि को अनुबंधक एवं उसके श्रमिकों द्वारा कोई क्षति न पहुचाइ जाये, अन्यथा इसके लिये अनुबंधक उत्तरदायी होगा एवं इसकी भरपाई अनुबंधक से की जावेगी।
13. उपरोक्त कार्य हेतु संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार के संसाधन उपलब्ध नही करवाये जायेगे।
14. संस्थान में कार्यरत बंदी श्रमिकों को उपरोक्त कार्य में अनुबंधक द्वारा नही लगाया जायेगा ।
15. उपरोक्त सूखी लकड़ी अनुबंधक को संस्थान फार्म से जहॉ पडी है वहॉ से ही उठानी होगी ।
16. सूखी लकड़ियों में राजस्थान सरकार/वन विभाग से प्रतिबंधित लकड़ियों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
17. कुछ पेड़ सूखकर खड़े है, उनको नहीं काटा जावेगा एवं हरी लकड़ी/टहनियों को भी नहीं काटा जावेगा, यदि अनुबंधक ने शर्तों का उल्लघन किया तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

सूचनार्थ:

1. नोटिस बोर्ड–कार्यालय।
2. नोटिस बोर्ड प्रक्षेत्र।
3. प्रभारी ए.के.एम.यू.–अपलोड हेतु।

Sh. Sanjay Pahl

9/03/2020